दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: दिनांक 27 अगस्त, 2024

जमानत आ. 3021/2024

अरुण मलिक .....याचिकाकर्ता

के माध्यम से: श्री वरुण देव मिश्रा और सुश्री कीर्ति लाल, अधिवक्तागण

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य सरकार .....प्रत्यर्थी

के माध्यम से: श्री अमन उस्मान, राज्य हेतु अति.लो.अभि. के साथ उप-निरी. ममता, थाना: द्वारका, सेक्टर-23 के साथ उप-निरी. आरती, थाना: नजफगढ़।

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुब्रमण्यम प्रसाद

निर्णय (मौखिक)

आप.वि.अ. 25345-46/2024 (छूट हेतु)

अनुज्ञात, सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन।

जमानत आ. 3021/2024, आप.वि.अ. 25347/2024

1. याचिकाकर्ता ने थाना सेक्टर 23 द्वारका में भा.दं.सं. की धारा 376/354 के साथ पॉक्सो(लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण) अधिनियम की धारा

6/8 के अंतर्गत अपराधों के लिए दिनांक 16.02.2023 को दर्ज प्राथमिकी सं. 38/2023 में जमानत की मांग की है।

2. संक्षेप में, वर्तमान याचिका हेतु तथ्य यह है कि दिनांक 16.02.2023 को, थाना सेक्टर-23 द्वारका में डीडी नंबर 68 के माध्यम से एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसमें बालिका के साथ बलात्कार की बात कही गई थी। अभियोक्त्री 'जी', जो प्राथमिकी दर्ज होने के समय लगभग 14 वर्ष की थी, ने अपनी माँ के साथ याचिकाकर्ता के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में अभियोक्त्री ने कहा है कि वह बचपन से अपने मामा और मामी के साथ रह रही है। यह कहा गया है कि वह अपने अंकल और आंटी के साथ दूसरी मंजिल पर रहती है और याचिकाकर्ता अपनी पत्नी और बच्चे के साथ उसी इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता है। यह आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता के परिवार के अभियोक्त्री के अंकल और आंटी के साथ अच्छे संबंध हैं। शिकायत में कहा गया है कि दिनांक 02.12.2022 को, जब अभियोक्त्री अपने परिवार और याचिकाकर्ता के परिवार के साथ याचिकाकर्ता के मित्र की भतीजी के विवाह समारोह में शामिल होने गई, तो याचिकाकर्ता की पत्नी ने अभियोक्त्री से उसके घर से लिपस्टिक लाने को कहा। यह कहा गया है कि अभियोक्त्री और याचिकाकर्ता उसकी कार से याचिकाकर्ता के घर गए और विवाह समारोह में वापस जाते समय, याचिकाकर्ता ने एक खाली जगह पर कार रोकी और अभियोक्त्री को चूमकर और अनुचित तरीके से छूकर उसका यौन उत्पीड़न

किया। ऐसा कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने अभियोक्त्री को घटना के विषय में किसी को भी न बताने की धमकी दी। शिकायत में आगे कहा गया है कि इसके बाद याचिकाकर्ता अभियोक्त्री को ब्लैकमेल(भयादोहन) करता था और वह उसे अपने घर की छत पर बुलाता था और उसके साथ बलात्कार करता था। ऐसा कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने अभियोक्त्री के साथ छह मौकों पर बलात्कार किया है। ऐसा कहा गया है कि दिनांक 15.02.2023 को, जब अभियोक्त्री छत से नीचे आ रही थी, तो उसके मामा ने उसे देखा और उसके ठिकाने के बारे में पूछे जाने पर वह डर गई। ऐसा कहा गया है कि बाद में अभियोक्त्री ने अपनी मां को घटना के विषय में बताया और पुलिस को सूचित किया गया। अभियोक्त्री की शिकायत पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध वर्तमान प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

3. अभियोक्त्री को दिनांक 16.02.2023 को चिकित्सीय परीक्षा हेतु डीडीयू अस्पताल भेजा गया, जिसमें उसने दोहराया कि याचिकाकर्ता उसका लैंगिक दुरूपयोग करता था। यह कहा गया है कि अभियोक्त्री ने अपनी आंतरिक चिकित्सीय परीक्षा से इनकार किया। यद्यपि, दिनांक 17.02.2023 को अभियोक्त्री की मां ने थानाध्यक्ष, द्वारका सेक्टर 23 को अभियोक्त्री की आंतरिक चिकित्सीय परीक्षा हेतु अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि अभियोक्त्री दिनांक 16.02.2023 को आंतरिक परीक्षा से डर गई थी। अभियोक्त्री और उसकी मां के बयान दं.प्र.सं. की धारा 161 के अंतर्गत

अभिलिखित किए गए, जिसमें उन्होंने शिकायत में लगाए गए आरोपों को दोहराया। याचिकाकर्ता को दिनांक 17.02.2023 को गिरफ्तार किया गया। अभियोक्त्री का बयान धारा दं.प्र.सं. की 164 के अंतर्गत अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने आरोपों को संपुष्ट किया। याचिकाकर्ता के विरुद्ध दिनांक 07.04.2023 को आरोप पत्र दायर किया गया।

4. याचिकाकर्ता ने द्वारका न्यायालय के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष जमानत देने हेतु आवेदन दायर किया और इसे दिनांक 21.04.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

5. याचिकाकर्ता के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 354/376(2) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और 8 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं।

6. याचिकाकर्ता का दूसरा जमानत आवेदन भी विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 11.07.2024 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

7. इसके बाद याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता को इस मामले में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता दिनांक 17.02.2023 से अभिरक्षा में है और विचारण की कार्यवाही

में काफी विलंब हो रहा है। इसलिए, उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

9. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अति.लो.अभि. ने ज़मानत याचिका का पुरज़ोर विरोध किया और प्रतिवाद किया कि याचिकाकर्ता पर बहुत ही जघन्य और निंदनीय अपराध करने का आरोप है और याचिकाकर्ता के साथ कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने और न्याय से भागने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि अभियोक्त्री और अभियोक्त्री की माँ ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है।

10. अधिवक्तागण की बात सुनी गई और अभिलिखित तथ्य का परिशीलन किया गया।

11. शीर्ष न्यायालय ने कई निर्णयों में जमानत देने के मानदंड निर्धारित किए हैं। गुरचरण सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन, **(1978) 1 एससीसी 118** में शीर्ष न्यायालय ने निम्नलिखित रूप से अभिनिर्धारित किया है:-

> *"24. दूसरी ओर, दं.प्र.सं. की नई संहिता की धारा 439(1), जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को विशेष अधिकार प्रदान करती है। धारा 437(1) के विपरीत, दं.प्र.सं. की धारा 439(1), के अंतर्गत मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्तियों को उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा जमानत देने पर*

कोई वर्जन नहीं लगाया गया है। यद्यपि, यह मानना उचित है कि उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में कोई अभियुक्त तभी जाएगा जब वह दंडाधिकारी के समक्ष विफल हो जाएगा और और अन्वेषण आगे बढ़ने के बाद अभियुक्त को आलिप्त करने वाले साक्ष्य और परिस्थितियों पर प्रकाश डाला जाएगा। फिर भी, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को दं.प्र.सं. की नई संहिता की धारा 439(1) के अंतर्गत जमानत देने के सवाल पर विचार करने में अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करना होगा। ***जमानत देने में अध्यारोही विचार, जिनका हमने पहले उल्लेख किया है और जो दं.प्र.सं. की नई संहिता की धारा 437(1) और धारा 439(1) दोनों के मामले में समान हैं, वे हैं उन परिस्थितियों की प्रकृति और गंभीरता जिनमें अपराध किया गया है; पीड़ित और साक्षियों के संदर्भ में अभियुक्त की स्थिति और अवस्था; अभियुक्त के न्याय से बचने की संभावना; अपराध को दोहराने की संभावना; मामले में संभावित दोषसिद्धि की गंभीर संभावना का सामना करते हुए अपने स्वयं के जीवन को खतरे में डालने की संभावना; साक्षियों के साथ छेड़छाड़; मामले का इतिहास और साथ ही इसका अन्वेषण और अन्य प्रासंगिक आधार, जो इतने सारे मूल्यवान कारकों को ध्यान में रखते हुए, विस्तृत रूप से उपवर्णित नहीं किए जा सकते हैं।"*** (जोर दिया गया)

12. राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह, **(2001) 3 एससीसी 598** में, शीर्ष न्यायालय ने जमानत देने के लिए विचार किए जाने वाले कारकों का वर्णन किया, जिसमें शीर्ष न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

"3. जमानत देना हालांकि एक विवेकाधीन आदेश है - परंतु, फिर भी, इस प्रकार के विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से करने की आवश्यकता है, न कि स्वाभाविक रूप से। बिना किसी ठोस कारण के जमानत के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता। यद्यपि, यह अभिलिखित करने की आवश्यकता नहीं है कि जमानत देना न्यायालय द्वारा निपटान किए जा रहे मामले के प्रासंगिक तथ्यों पर निर्भर है और तथ्य, हालांकि, हमेशा वाद दर वाद अलग-अलग होते हैं। समाज में अभियुक्त की स्थिति पर विचार किया जा सकता है, परंतु वह अपने आप में जमानत देने के मामले में निर्देशक कारक नहीं हो सकता है और इसे हमेशा जमानत देने के लिए अन्य परिस्थितियों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। अपराध की प्रकृति जमानत देने के लिए बुनियादी विचारों में से एक है - अपराध जितना अधिक जघन्य होगा, जमानत अस्वीकार होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, यद्यपि, यह मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर निर्भर करता है।

4. *उपरोक्त के अलावा, कुछ अन्य बातें भी प्रासंगिक मानी जा सकती हैं, जिन पर इस समय गौर किया जा सकता है, यद्यपि, वे केवल दृष्टांत स्वरुप हैं और संपूर्ण नहीं हैं, न ही कोई हो सकता है। विचार इस प्रकार हैं:*

> *(क) जमानत देते समय न्यायालय को न केवल आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखना होता है, किंतु यदि आरोप के कारण दोषसिद्धि होती है तो दंड की गंभीरता और आरोपों के समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति को भी ध्यान में रखना होता है।*

(ख) साक्षियों के साथ ***छेड़छाड़ किए जाने या शिकायतकर्ता को खतरा होने की*** *उचित आशंकाओं* ***को भी जमानत प्रदान करने के मामले में न्यायालय को ध्यान में रखना चाहिए।***

(ग) यद्यपि यह अपेक्षित नहीं है कि सम्पूर्ण साक्ष्य अभियुक्त के अपराध को संदेह से परे सिद्ध कर दें, परन्तु आरोप के समर्थन में न्यायालय को प्रथम दृष्ट्या संतुष्टि अवश्य होनी चाहिए।

(घ) अभियोजन में तुच्छता पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए और जमानत प्रदान करने के मामले में केवल वास्तविकता के तत्व पर ही विचार किया जाना चाहिए, और अभियोजन की वास्तविकता के विषय में कुछ संदेह होने की स्थिति में, सामान्य घटनाक्रम में, अभियुक्त जमानत के आदेश का हकदार है।"

(जोर दिया गया)

13. <u>प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी एवं अन्य</u>, **2010 (14) एससीसी 496** में शीर्ष न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

"9. *हमारा मानना है कि आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से असंधार्य है। यह सामान्य बात है कि यह न्यायालय, सामान्यतः, अभियुक्त को जमानत देने या अस्वीकार करने के उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप नहीं करता है। यद्यपि, उच्च न्यायालय पर भी यह समान रूप से दायित्व है कि वह इस मुद्दे पर इस न्यायालय के अनेक निर्णयों में निर्धारित मूल सिद्धांतों के अनुपालन में विवेकपूर्ण, सावधानीपूर्वक और सख्ती से अपने विवेक का प्रयोग करे। यह सुस्थापित है कि, अन्य परिस्थितियों के*

अलावा, जमानत हेतु आवेदन पर विचार करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारक हैं:

(i) क्या यह मानने के लिए प्रथम दृष्ट्या या उचित आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है;

(ii) अभियोग की प्रकृति और गंभीरता;

(iii) दोषसिद्धि की स्थिति में दण्ड की गंभीरता;

(iv) जमानत पर रिहा होने पर अभियुक्त के फरार होने या भागने का खतरा;

(v) अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन, पद और स्थिति;

(vi) अपराध के दोहराये जाने की संभावना;

(vii) साक्षियों के प्रभावित होने की उचित आशंका; और

(viii) निश्चित रूप से, जमानत देने से न्याय के विफल होने का खतरा।

[देखें उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अमरमणि त्रिपाठी [(2005) 8 एससीसी 21: 2005 एससीसी (आप.) 1960 (2)] (एससीसी पृ. 31, पैरा 18), प्रहलाद सिंह भाटी बनाम रा.रा.क्षे. दिल्ली [(2001) 4 एससीसी 280: 2001 एससीसी (आप.) 674], और राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह [(2002) 3 एससीसी 598: 2002 एससीसी (आप.) 688]।]

10. *यह प्रकट है कि यदि उच्च न्यायालय इन प्रासंगिक विचारों पर ध्यान नहीं देता है और यंत्रनोदित जमानत अनुदत्त करता है, तो उक्त आदेश में विवेक का प्रयोग न करने का दोष होगा, जिससे यह अवैध हो जाएगा। मसरूर [(2009) 14 एससीसी 286: (2010) 1 एससीसी (आप.)*

1368] में, इस न्यायालय की एक खंड न्यायपीठ, जिसके हम में से एक (न्या. डीके जैन) सदस्य थे, ने निम्नलिखित टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 290, पैरा 13)

> *"13. ... यद्यपि जमानत देने के चरण में साक्ष्य का विस्तृत परीक्षण और मामले के गुणागुण को प्रभावित करने वाले विस्तृत कारणों से बचना चाहिए, जो अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह पैदा कर सकते हैं, परंतु ऐसे आदेश में प्रथम दृष्ट्या यह निष्कर्ष निकालने के लिए कारण बताने की आवश्यकता है कि जमानत क्यों दी जा रही है, विशेष रूप से जहां अभियुक्त पर गंभीर अपराध करने का आरोप है।"*
>
> *(यह भी देखें महाराष्ट्र राज्य बनाम रितेश [(2001) 4 एससीसी 224: 2001 एससीसी (आप.) 671], पंचानन मिश्रा बनाम दिगंबर मिश्रा [(2005) 3 एससीसी 143: 2005 एससीसी (आप.) 660], विजय कुमार बनाम नरेंद्र [(2002) 9 एससीसी 364: 2003 एससीसी (आप.) 1195] और अनवरी बेगम बनाम शेर मोहम्मद [(2005) 7 एससीसी 326: 2005 एससीसी (आप.) 1669]।)"*

14. उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त सिद्धांतों को कई अन्य बाद के निर्णयों में फिर से बताया गया है, अर्थात्, नीरू यादव बनाम यूपी राज्य, **(2014) 16 एससीसी 508**; अनिल कुमार यादव बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), **(2018) 12 एससीसी 129** और महिपाल बनाम राजेश कुमार, **(2020) 2 एससीसी 118**।

15. मामले के तथ्यों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता, जो विवाहित है और उसकी एक बेटी है, उस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहती थी, जहाँ अभियोक्त्री, एक अवयस्क, अपने मामा और मामी के साथ दूसरी मंजिल पर रहती थी। दिनांक 02.12.2022 को, एक विवाह समारोह में जाते समय, उसने उसे जबरन चूमा और अनुचित तरीके से छुआ और उसे इस घटना के विषय में चुप रहने की धमकी भी दी। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने अभियोक्त्री को प्रपीड़ित करना और उसके साथ मारपीट करना जारी रखा, विभिन्न अवसरों पर कई बार यौन संबंध बनाए। दिनांक 15.02.2023 को, जब अभियोक्त्री को उसके मामा ने छत से उतरते हुए पाया, तो उसने अपनी मां को अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में बताया, जिसके कारण पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई और याचिकाकर्ता के विरुद्ध वर्तमान प्राथमिकी दर्ज की गई।

16. याचिकाकर्ता पर एक अवयस्क लड़की के साथ यौन उत्पीड़न और बलात्कार के कई मामलों के आरोप हैं, जो उसी इमारत में रहती थी। दोषसिद्ध होने पर, याचिकाकर्ता को कम से कम 20 वर्ष तक के सश्रम कारावास का दंडादेश दिया जा सकता है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। अभियोक्त्री और अभियोक्त्री की माँ ने अभियोजन पक्ष के मामले का भरपूर समर्थन किया है।

17. इस समय, पॉक्सो अधिनियम के मुख्य उद्देश्य और इस विशेष विधान के अधिनियमन का कारण उद्धृत करना उचित है:

"बालकों को यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और अश्लील साहित्य (पोर्नोग्राफी) के अपराधों से बचाने तथा ऐसे अपराधों के लिए न्यायालयों की स्थापना और उनसे संबंधित या प्रासंगिक मामलों के विचारण हेतु एक अधिनियम।"

18. *ईरा के माध्यम से डॉ. मंजुला क्रिपेनडॉर्फ बनाम दिल्ली राज्य एनसीटी और अन्य*, (2017) 15 एससीसी 133 में, शीर्ष न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम के बयान और उद्देश्य पर निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

"20. पॉक्सो अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के कथन और उद्देशिका का उल्लेख करने का उद्देश्य यह समझना है कि वर्तमान प्रकृति का विधान लाने का उद्देश्य बालकों को यौन उत्पीड़न, संतापन और शोषण से बचाना और बालक के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करना है। उद्देशिका के गहन और तत्पर विवेक पर, यह स्पष्ट है कि यह एक बालक की निजता और गोपनीयता के अधिकार की आवश्यकता को पहचानता है जिसे हर व्यक्ति द्वारा हर प्रकार से और बालक से जुड़ी न्यायिक प्रक्रिया के सभी चरणों में संरक्षित और सम्मानित किया जाना चाहिए। बालक के स्वास्थ्य, शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर सर्वोत्तम हित और कल्याण को सर्वोपरि माना जाता है। यह भी अनुबंध है कि यौन शोषण और यौन दुर्व्यवहार जघन्य अपराध हैं और इन्हें प्रभावी ढंग से संबोधित करने की आवश्यकता है। उद्देश्यों और कारणों का कथन संवैधानिक जनादेश को ध्यान में रखते हुए, अपनी नीति को इस दिशा में निर्देशित करता है कि बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और उनके बचपन को शोषण से बचाया

जाए और उन्हें स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति में विकसित होने की सुविधाएँ दी जाएँ। इसमें एक उल्लेख भी है जो काफी महत्वपूर्ण है कि पीड़ित और साक्षी दोनों के रूप में बालकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। बाल-अनुकूल प्रक्रिया प्रदान करने पर जोर दिया गया है। विधान की योजना में बालक की गरिमा पर बहुत जोर दिया गया है। पॉक्सो अधिनियम के पाठ में संरक्षण और हित मौलिक स्थान रखते हैं।"

19. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस स्तर पर याचिकाकर्ता को जमानत देने से उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है जिसे इस विधान को बनाते समय ध्यान में रखा गया था। बालक की भलाई पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसका मानसिक मानस कमजोर, संवेदनशील और विकासशील अवस्था में है। बचपन में यौन शोषण के दीर्घकालिक प्रभाव कई बार असहनीय होते हैं। इसलिए, यौन उत्पीड़न या यौन संतापन का कृत्य बालकों को मानसिक आघात पहुँचाने की क्षमता रखता है और आने वाले वर्षों में उनकी विचार प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। यह बालक के सामान्य सामाजिक विकास में बाधा डाल सकता है और विभिन्न मनोसामाजिक समस्याओं को जन्म दे सकता है जिसके लिए मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। यह न्यायालय इस तथ्य की अनवेक्षा नहीं कर सकता कि याचिकाकर्ता और अभियोक्त्री एक ही इमारत में रहते हैं और अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है, तो याचिकाकर्ता द्वारा साक्षियों को धमकाने और न्याय से भागने की बहुत अधिक संभावना है। इसके अलावा, पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 में यह

प्रावधान है कि जब किसी व्यक्ति पर पॉक्सो अधिनियम की धारा 3, 5, 7 और 9 के अंतर्गत कोई अपराध करने के लिए अभियोग चलाया जाता है, तो न्यायालय यह मान लेगा कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है, जब तक कि इसके विपरीत प्रमाणित न हो जाए।

20. अपराध की गंभीरता को देखते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घटना के समय अभियोक्त्री की आयु लगभग 14 वर्ष थी तथा यह मानने के लिए उचित आधार है कि याचिकाकर्ता साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है तथा साक्षियों को प्रभावित कर सकता है, यह न्यायालय इस समय याचिकाकर्ता को जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं है।

21. परिणामस्वरूप, जमानत आवेदन को लंबित आवेदनों, यदि कोई हो, के साथ खारिज किया जाता है।

न्या. सुब्रमण्यम प्रसाद

27 अगस्त, 2024
राहुल

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*